

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 894100070523031934

Date : 07-05-2023

प्रभावी : द्वितीय तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/शुश्री SUSHMA GUPTA W/O BASANT KUMAR GUPTA,
मोहल्ला DARJI MUHLLA JHUMRITILAIYA
RODEFIMA, 825409
6201158893

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0120000505000M0 वार्ड सं 12 हुआ है. आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	19.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		19.00



[Blank space for signature]

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण भूति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय भूति को निर्देश समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/टांचों को कोई कानूनी हेसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मासिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होटिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Sushma Gupta

कोडरवा सदर। तिलैया। 244। SUSHMA GUPTA		
खसरा सख्या	खसरा सख्या	रकबा (एकड़ में)
440	7287	0 एकड़ 0.92 डिसमील 0 हेक्टर

अराजगी मकदमी	अराजगी भावली	तफसील हिंसाब लगान भावली
--------------	--------------	-------------------------

जिले का सालाना माग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2022-2023)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष	
माल (नकदी)	10.00				10.00	
मुजारी (भावली)	2.50				2.50	
शुल्क	5.00				5.00	
मुजकरकात	5.00				5.00	
मौजान	2.00				2.00	
	24.50				24.50	

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मौतालबा हाल (2022-2023)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष		
माल (नकदी)					10.00	
मुजारी (भावली)					2.50	
शुल्क					5.00	
मुजकरकात					5.00	
मौजान अदायकारी					2.00	
					24.50	

(१) मौजान कुल (नकदी में) : Twenty Four Rupees and Fifty Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया - 24.50

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 07-09-2022

खस माल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायो पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सुद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।

यह प्रारंभ केवल मातृ की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अनुचितियों के लिए सम्बन्धित अमलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।

Print

Sushma Gupta